



2026:AHC:66699-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 10810 वर्ष 2026

विवेक मिश्रा याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशुतोष श्रीवास्तव, देवांश मिश्रा, विनोद कुमार तिरपति

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 29

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार

1. रिट याचिका 23 मार्च, 2026 को दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री देवांश मिश्रा ने प्रस्तुत किया था कि उनके मुवक्किल के प्रतिष्ठान में आग लगने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई थी। परिणामस्वरूप, प्राधिकरण ने नर्सिंग होम चलाने के लिए उनके मुवक्किल का लाइसेंस रद्द कर दिया। उन्होंने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि रद्द करने पर तत्काल रोक तभी हो सकती है जब उनके मुवक्किल को कारण बताओ पर अवसर दिया गया हो। इस मामले में प्रतिपक्षी संख्या-5 (सीएमओ) द्वारा पारित 9 फरवरी, 2026 का आक्षेपित आदेश सीधे तत्काल रद्द और संचालन पर रोक है। उन्होंने हस्तक्षेप की मांग की। राज्य को स्थगित तिथि पर विचार करने और सुनवाई के लिए स्थगन दिया गया था।

2. आज श्री शरद चंद्र उपाध्याय, अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने प्रस्तुत किया, तथ्य ऐसे हैं कि तत्काल रद्द करना आवश्यक था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 32 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है।

"32. पंजीकरण रद्द करना--(1) यदि, किसी नैदानिक प्रतिष्ठान के पंजीकृत होने के बाद किसी भी समय, प्राधिकरण संतुष्ट है कि,-

(ए) पंजीकरण की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) नैदानिक प्रतिष्ठान के प्रबंधन का कार्य सौंपे गए व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो वह नैदानिक प्रतिष्ठान को तीन माह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि नोटिस में उल्लिखित कारणों के लिए इस अधिनियम के तहत उसका पंजीकरण रद्द क्यों न किया जाए।

(2) यदि नैदानिक स्थापना को उचित अवसर देने के बाद, प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में से किसी का उल्लंघन हुआ है, तो वह एक आदेश द्वारा, किसी अन्य कार्रवाई के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जो वह ऐसे नैदानिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध कर सकता है, अपना पंजीकरण रद्द कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा-

(ए) जहां ऐसी अपील के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति पर तुरंत इस तरह के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है; और

(ख) जहां ऐसी अपील को दायर की गई है और इसे ऐसी बर्खास्तगी के आदेश की तारीख से खारिज कर दिया गया है:

बशर्ते कि प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से पंजीकरण रद्द करने के बाद, रोगियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा होने पर नैदानिक प्रतिष्ठान को तुरंत आगे बढ़ने से रोक सकता है।

(महत्व सन्निविष्ट)



हम देखते हैं कि प्रावधान पंजीकृत प्रतिष्ठान को पंजीकरण रद्द करने के इरादे से अपेक्षित नोटिस देने का आदेश देता है। उप-धारा (3) के तहत परंतुक रद्द करने के आदेश पर तत्काल संयम का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह रद्द करने का आदेश देने से पहले अनिवार्य नोटिस का हकदार है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान को 9 फरवरी, 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और साथ ही 9 फरवरी, 2026 को आक्षेपित आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें पंजीकरण को खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश को **रद्द/अपास्त** किया जाता है। याचिकाकर्ता को 9 फरवरी, 2026 के कारण बताओ नोटिस के अनुसार कारण बताओ नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर यानी 10 मई, 2026 को कारण बताना होगा। प्रतिपक्षी संख्या-5, समय या चूक के भीतर दिखाए गए कारण के भीतर कारण प्रस्तुत करने पर, नया आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, धारा 32(3) के तहत सक्षम प्रावधान दिए गए कारण (कारणों) पर शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण को उपलब्ध होगा।

5. रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

मोहिनी

(न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा)

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)